

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 512 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 14-5-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भतरौंजखान निगराली भिकियासैण मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या 11260/2015।

सन्दर्भ :- आपकी पत्र सं० 623/FP/UK/ROAD/11260/2015 दिनांक 02.09.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके संदर्भित द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 6119/12-1 दिनांक 10.05.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय



(कुबेर सिंह बिष्ट)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 5986 / 12-1 (2) अल्मोड़ा दिनांक 04-05-2022

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा में भतरौंजखान निगराली भिकियासैण मोटर मार्ग। (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/11260/2015)

सन्दर्भ – कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 623/FP/UK/ROAD/11260/2015 दिनांक 02.09.2021।


महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा 4 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The name of the competent authority (i.e. the person who signed the authority letter) not mentioned in the authority letter. Kindly mentioned the same as the name and designation of the competent authority is to be mentioned and seal is to be affixed as per the guidelines: also the scan of photostate authority letter is uploaded. Kindly upload the scan of original authority letter.	मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न करने हेतु ऑथराइटी लैटर मूल में तैयार कर ऑथराइज अधिकारी का पद एवं हस्ताक्षर करवाकर पार्ट-। में ऑन लाईन कर दिया गया है।
2	VLC preceeding and NOC of all the villages as per detail mentioned in the B 2.3 under village wise breakup is to be uploaded along FRA certificate for the villages.	वनाधिकारी प्रमाण पत्र ग्राम स्तरीय कमेटी के प्रमाण पत्र में प्रत्येक गांव की अनापत्ति सहित पूर्ण वनाधिकार प्रमाण पत्र पार्ट-। के Kसेक्शन में ग्राम वाईज ब्रेकअप को सही कर पार्ट-। के सेक्शन B2.3 में अंकित कर ऑन लाईन कर दिया गया है।
3	Van panchayat land is shown in Bar Chart under legal classification in Part II, van panchyat land is not mentioned; also in Part II – only 0.128 ha detail is mentioned revenue forest (screenshot attached)	आपत्ति का निराकरण ऑनलाईन कर दिया गया है।
4	Also submit I-hard copy in original as the proposal is to be sent to RO, MOEFCC, GOI and UA had submitted only 2 Copy.	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी तैयार कर नोडल अधिकारी, देहरादून को दो मूल प्रतियों में पूर्व में प्रेषित की गयी है। पुनः प्रस्ताव की एक प्रति प्रभाग स्तर से पूर्व में भेजी जा चुकी है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।